तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मु.न. 02/2024 परमसुख / राज्य सरकार	
11/9/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस ~~सुनी~~ सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्र० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

1/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री विष्णु बंसल (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 03/2024

1. परमसुख पुत्र पातीराम जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

...................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

...................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 111,128 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय

दिनांकः— 11/9/24

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1273/804/0.04है0 बाके ग्राम मुढेरा में स्थित है उक्त आराजी का इन्द्राज पटवार कागजात जमाबंदी सम्बत 2075—2078 में खाता संख्या 346 पर हो रहा है। उक्त आराजी से प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्धं एवं सरोकार नहीं है। दिनांक 06.05.2023 को प्रार्थी द्वारा पैमाइश कराई गई थी तथा मुताबिक पैमाईश के मौके पर विवादित आराजी के चारों ओर डौल मैड डली हुई है। पडौसी खातेदार डौल मैडों को तोडते रहते है एवं इसकी बजह से झगडे एवं विवाद रहने का अंदेशा रहता है एवं आवारा पशुओं से भी फसल को नुकसान होता रहता है। जिसके कारण उक्त आराजी पर कास्त करना मुश्किल हो रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 03.07.2024 को जबाव पेश किया। प्रार्थी द्वारा पैमाइश रिपोर्ट ग्राम मुढेरा की छायाप्रति पेश की है जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने पूर्व में भी तहसीलदार उच्चैन को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार उच्चैन ने हल्का पटवारी को

सीमा ज्ञान के लिए आदेशित किया था। जिसकी पालना में हल्का पटवारी के द्वारा विवादित आराजी की दिनांक 06.05.2023 को पैमाइश की जा चुकी है।

वकील प्रार्थीगण की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर गौर किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जा कर अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 1273/804/0.04है0 बाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन का सीमाज्ञान करावें तथा प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बाबत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विष्णु बसंल (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)